

मैं ० श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह सोपस्टोन खनन परियोजना ग्राम खुल्दौड़ी तहसील व जनपद बागेश्वर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 02.05.2022 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मैं ० श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम खुल्दौड़ी तहसील व जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड सोप स्टोन माईनिंग प्रोडक्ट (3.834 है० क्षेत्रफल) खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना— 2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र टाईम्स ऑफ इण्डिया एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 31.03.2022 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई०आई०ए० रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 02.05.2022 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी तदक्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 02.05.2022 को शासकीय कार्यों में व्यस्तता के कारण अपराह्न 03:00 बजे ग्राम खुल्दौड़ी तहसील व जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी के सहायक वैज्ञानिक अधिकारी श्री हरीश चन्द्र जोशी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी बागेश्वर, श्री चन्द्र सिंह इमलाल तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था कार्गनीजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के श्री अखिल कुमार द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग परियोजना से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राज्य को राजस्व की वृद्धि होगी। प्रस्तावित खनन परियोजना क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया है परिणामों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावित क्षेत्र की मिट्टी किसी भी प्रदूषणकारी स्त्रोतों से दूषित नहीं है। मानसून के पहले 05 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की गयी तथा प्राप्त परिणामों के अनुसार वायु की गुणवत्ता आवासीय ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है। प्रस्तावित खनन क्षेत्रान्तर्गत भूजल के नमूनों की जांच की गयी जो भौतिक-रासायनिक प्रचालन के पानी के मानकों के लिए निर्धारित सीमा के अन्तर्मत है।

क्रमांक:-2

खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबन्धन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ प्रस्तावित परियोजना पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के बिना आगे बढ़ सकती है। प्रस्तावित क्षेत्र में दिन व रात में शोर के स्तर की जांच की गयी जो सीपीसीबी की निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक वातारण पर सकारात्मक है। पर्यावरण के क्षेत्र में जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनन सामग्री के परिवहन किये जाने हेतु मात्र कम प्रदूषण करने वाले वाहनों का ही प्रयोग किया जायेगा। खनन गतिविधियों में नियोजित स्थानीय लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार होगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत पेड़ों की कटाई नहीं होगी। खनन परियोजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्राथमिक चिकित्सा के रूप में प्रदान की जायेगी। मानसून से पूर्व खनन क्षेत्रान्तर्गत के गढ़ों में अपशिष्ट पदार्थ भरकर समतलीकरण किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबन्धन के प्रभावी कार्यान्वयन होने की दशा में खनन क्षेत्र में जीव जन्तुओं और वनस्पतियों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका-टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत है:-

1— श्री भूपाल सिंह खेतवाल ग्राम प्रधान खुल्दौड़ी बागेश्वर— श्री खेतवाल द्वारा अवगत कराया क्षेत्र में पूर्व स्थापित/संचालित खनन परियोजनाओं के पट्टाधारकों द्वारा पूर्व में दिये गये आश्वासनों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। किन्तु प्रस्तावित खनन परियोजना का प्रस्तावक स्थानीय है प्रस्तावक से स्थानीय लोगों के हितों के अनुरूप कार्य करने का विश्वास है परन्तु वर्तमान संचालित खनन परियोजना द्वारा मनमर्जी से कार्य किया जा रहा है। पूर्व में क्षेत्रान्तर्गत नये खड़िया खनन परियोजनाओं के स्थापना हेतु जनसुनवाई आयोजित की गई थी परन्तु पट्टाधारक द्वारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री दिलीप सिंह खेतवाल एक स्थानीय व्यक्ति हैं। जिनसे हम अपने अनुकूल कार्य करवा लेंगे।

2— श्री मोहन सिंह खेतवाल पुत्र श्री बहादुर सिंह ग्राम तुपेड़ बागेश्वर— श्री खेतवाल द्वारा श्री भूपाल सिंह खेतवाल ग्राम प्रधान खुल्दौड़ी की बातों का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया गया कि क्षेत्रान्तर्गत के पूर्व पट्टाधारक द्वारा मानकों के अनुरूप कार्य न करते हुए अपनी मनमर्जी से किया जा रहा है। प्रस्तावित खनन परियोजना में मानकों के अनुरूप कार्य हो तो हमें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि से हमें आशा है कि वह जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। हम उनकी इस परियोजना का स्वागत करते हैं कि वह मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे। हमें खनन परियोजना के स्थापित होने से कोई आपत्ति नहीं है।

कमशा:-3

3— श्री मोहन सिंह खेतवाल ग्राम खुल्दौड़ी बागेश्वर— श्री खेतवाल अवगत कराया गया कि पूर्व में क्षेत्रान्तर्गत नये खड़िया खनन परियोजनाओं के स्थापना हेतु जनसुनवाई आयोजित हुई है परन्तु पट्टाधारक द्वारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। खनन क्षेत्रान्तर्गत एवं रास्तों में पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है एवं पर्यावरण प्रबन्धन भी नहीं किया गया है। माईन क्षेत्र में शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है। तदकम में अध्यक्ष महोदय आश्वस्त किया गया कि पूर्व में संचालित माईनिंग माईनिंग प्लान, पर्यावरणीय दृष्टिकोण एवं जनभावनाओं के अनुरूप ग्रामीणों को विश्वास में लेकर ही परियोजना से संबंधित कार्य किये जाय।

4— श्री अशोक खेतवाल ग्राम तुपेड़ बागेश्वर— श्री खेतवाल द्वारा कहा गया कि उपस्थित लोगों द्वारा समस्याओं के बारे में अवगत करा दिया गया है परियोजना के स्थापित होने से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

5— श्री जगदीश सिंह खेतवाल ग्राम तुपेड़ बागेश्वर— श्री खेतवाल द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना के स्थापित होने से हम सहमत हैं।

6— श्री गुमान सिंह निवासी ग्राम तुपेड़ तहसील व जनपद बागेश्वर— श्री गुमान सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना मानकों के अनुसार कार्य करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

7— श्री रतन सिंह निवासी ग्राम खुल्दौड़ी तहसील व जनपद बागेश्वर— श्री सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना के स्थापित होने से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

8— श्री चन्द्र सिंह निवासी ग्राम खुल्दौड़ी तहसील व जनपद बागेश्वर— श्री सिंह द्वारा प्रस्तावित परियोजना का समर्थन करते हुए कहा गया कि खनन परियोजना स्थापित होने से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

9— श्री दलीप सिंह खेतवाल (परियोजना प्रतिनिधि)— श्री खेतवाल द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित लोगों का स्वागत अभिनन्दन करते हुए स्पष्ट किया गया कि परियोजना जन सेवा के लिए प्रस्तावित है। परियोजना में मानकों एवं ग्रामीणों की भावनाओं के अनुरूप ही कार्य किया जायेगा। परियोजना के माध्यम से ग्रामीणों को जो वित्तीय लाभ होगा के संबंध में ग्रामीणों से अनुरोध किया गया वह इस धनराशि का दुरुपयोग गलत कार्य हेतु नहीं करेंगे। प्रस्तावित परियोजना ग्रामीणों को रोजगार प्रदान किये जाने के क्षेत्र में कार्य करेगी तथा उपस्थित ग्रामीणों को यह भी विश्वास दिलाया गया कि वह समय—समय पर सामाजिक कार्यों हेतु हर सम्भव सहयोग करेंगे।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित समस्त महानुभावों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक आयोजित किये जाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अवगत कराया गया कि पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में भलीभौति सम्पूर्ण जानकारियों उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। प्रस्तावित खनन परियोजना में प्रस्तावित पारित प्रस्तावों को पूर्ण किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रस्तावक का होगा। ग्रामवासियों/काश्तकारों एवं खनन पट्टाधारक के मध्य सम्पादित आपसी समझौते के आधार पर ही परियोजना संचालित की जायेगी तथा शंकाओं का समाधान भी किया जायेगा।

ग्रामवासी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कार्यकुशलता के आधार पर ही रोजगार मिलेगा। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों के मध्य आपसी ताल-मेल एवं विश्वास से कार्य करेंगे ऐसा प्रस्तावित परियोजना प्रतिनिधि से अपेक्षित है। क्षेत्र में खनन कार्य से नुकसान न हो के लिये वैज्ञानिक तरीके से खनन कार्य किया जाय। आवासीय स्थल, सोटर मार्ग, पैदल मार्ग, जल स्रोतों, विद्युत पोलों से यथा प्राविधान दूरी रखते हुए खनन कार्य किया जाय। क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टाधारकों जिनके द्वारा मानकों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अन्य सुझाव/टिप्पणियों प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक को शुभकामनाएं एवं उपस्थित सभी अधिकारीगण/कर्मचारीगण एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहाय वैज्ञानिक अधिकारी,
उ०प्र०नि० बोर्ड, हल्द्वानी।

(चन्द्र सिंह इमलाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।